FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

किशनाराम व अन्य बनाम दुर्गाराम व अन्य

मुकदमा राजस्व वाद नं. 76 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/15	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 रा॰का॰अ॰ राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/09/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/9/15	वादी वकील उप॰ / प्रतिवादीगण के सम्मन तामील अदम अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली आगामी दिनांक २२/१२/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/12/15	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 23/02/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/02/16	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी व्यस्त होकर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से ... इन्तजार होकर आगामी दिनांक [illegible] को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

25/05/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील हेतु तामील कुनन्दा/ जारी पीठासीन अधिकारी लोक अदालत हेतु के व्यस्त होने के मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 03/08/16 को पेश हो। [signature]

03/08/16 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनांक 26/10/16 को पेश हों। [signature]

26/10/16 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनांक 12/04/17 को पेश हों। [signature]

12/04/17 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री प्रेमराज पंवार द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई, प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं उपस्थित। जिनकी ओर से वकील श्री भूतरसिंह चौधरी द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 बावजूद तामील मजकूर। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 के वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 16/05/17 को पेश हो। [signature]

[signature] 12/4/17 (गोकलराम) under taking prepared प्रतिवादी 12/04/2017 प्रतिवादी 1 से 3 undertaken [signature] Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..05/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी न्याय मामले के द्वारा अभियान-2017 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजा पेश आगामी दिनांक 05/09/17 को पेश हो।	
05/09/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। फाईल्ड पेश करना चाहते हो पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08/11/17 को पेश हो।	
08/11/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया। फाईल्ड पेश करना चाहते हो पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था. न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली बाईन्दा दिनांक 22/01/18 को पेश हो।	
22/01/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 व 7 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया फाईल्ड पेश करना चाहते है। पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/04/18 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/04/18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश में है। अतः पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 27/08/18 को पेश हो।
27/08/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 14/11/18 को पेश हों।
14/11/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 16/01/19 को पेश हों।
16/01/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 03/04/19 को पेश हों।
03/04/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 24/06/19 को पेश हों।
24/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 9/10/19 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 व 7 के वकील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-1 से 3 व 7 स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या-1 से 3 व 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 23/12/19 को पेश हो। [signature] ~~सहायक कलेक्टर~~ (SDO) बायतु	
23/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/01/20 को पेश हो। [signature]	
22/01/20	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/03/2020 को पेश हो। [signature]	
25/03/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/06/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया, श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 11/08/2020 को पेश हो।
11/08/20	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण अनु०/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अ०कार्य में व्यस्त हुए हैं अतः मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 13/10/2020 को पेश हो।
13/10/20	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण अनु०/ वादी वकील द्वारा वादी संख्या-4 की फौतगी सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया, रिकॉर्ड पर संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर लिया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 व PW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 76/2015

वादीगण

1. किशनाराम पुत्र लाखाराम
2. जोगेन्द पुत्र घमण्डाराम
3. बाबुलाल पुत्र घमण्डाराम
4. चुनाराम पुत्र लाखाराम
5. पूनमाराम पुत्र लाखाराम

जाति जाट निवासी बायतु पनजी,
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दुर्गाराम पुत्र चौखाराम
2. पन्नालाल पुत्र चौखाराम
3. सुन्दर बेवा चौखाराम
4. भैराराम पुत्र लुम्बाराम
5. सिमरथाराम पुत्र नारणाराम
6. जालूराम पुत्र नारणाराम
7. गोकलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मीठिया तला बायतु पनजी
8. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा बायतु
9. तहसीलदार बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री घमण्डाराम सारण वकील वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.10.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा भूमि मौजा मीठिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 285, 286, 287, 332 रकबा क्रमशः 00.15, 60.01, 97.06, 74.11 बीघा में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि लाखा के संयुक्त परिवार द्वारा लाखा के संयुक्त परिवार हेतु लाखा के नाबालिग पुत्र चौखा के नाम खरीद की गई थी तथा बाद में चौखा के बालिग होने पर अपने चारों भाईयों किशना, घमण्डा, चुना व पूनमाराम सहित बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा पर काबिज कर दिया अर्थात प्रत्येक भाई का सम्पूर्ण रकबे में 1/20–1/20 हिस्सा निहित हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वज के वंशज है तथा वादीगण संख्या 1 व 4 से 5 के पिता एवं वादीगण संख्या 2 से 3 के दादा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 3 के ससूर लाखा द्वारा अपने धन से अपने नाबालिग पुत्र चौखा के नाम से भूमि का कय किया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त भूमि में बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित था उसी के अनुसार कय से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

...नुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः ...स्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी ... जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 व 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 12.04.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री प्रेमराज पंवार व प्रतिवादीगण संख्या 7 की ओर से चुतरसिंह की ओर से अण्डरटेकिंग ली गई। लेकिन वकालातनामा व जवाब का समुचित अवसर देने के उपरान्त भी वकालातनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 09.10.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 7 न तो स्वयं उपस्थित हुए न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW1 व PWD 2 शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के विरूद्ध कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त क्रय से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा वादीगण लाखाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मीठिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 285, 286, 287, 332 रकबा क्रमशः 00.15, 60.01, 97.06, 74.11 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से के साथ वादी संख्या 1 को 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 3 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा व वादी संख्या 4 से 5 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

1. किशनाराम पुत्र लाखाराम वगैरा

1. दुर्गाराम पुत्र चौखाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–76/2015.

निर्णय दिनांक :–13.10.2020

वादी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मीठिया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 285, 286, 287, 332 रकबा क्रमशः 00.15, 60.01, 97.06, 74.11 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से के साथ वादी संख्या 1 को 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 3 को संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा व वादी संख्या 4 से 5 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्सा की भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested